राजस्व अपील संख्या 32 / 2023

अनवान

हनुमानराम वगैराह बनाम राज0 राज्य वगैराह

दिनांक 30–01–2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायूत, जिला बाडमेर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व / 2022 / 2378 निर्णय दिनांक 22.11.2022 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू, जिला बाडमेर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 22.11.2022 में हस्तक्षेप नहीं करते हुए प्रकरण में तहसीलदार बायतू को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर